

कार्यालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार

अस्थायी प्रमाण - पत्र

परिशिष्ट "चार" (निर्देश क्र. ८(२) देखें)

अनुभाग ----- जिला ----- मध्य प्रदेश
पुस्तक क्रमांक 200042001 ----- प्रमाण पत्र क्रमांक 8224 ----- प्रकरण क्रमांक 2149

जाति प्रमाण - पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार उरमाले

आत्मज श्री उमाजी उरमाले निवासी ग्राम ठाऊ सिगखोड निलो

जिला/दुर्ग संभाग रायपुर मध्य प्रदेश के निवासी है जो कुनबी

जाति के है जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश, शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ/८-५/पच्चीस/४/८४, दिनांक २६ दिसम्बर १९८४ द्वारा अधिमन्य किया गया है।

श्री उमाजी उरमाले और/या उनका परिवार सामान्य

मध्य प्रदेश के जिला दुर्ग संभाग रायपुर में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमाजी उरमाले क्रीमिलेयर

(संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते है, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के

परिपत्र क्र. ३६०/२/२२/९३ स्था. (एस. एस. टी.) दिनांक ८-९-९३ द्वारा जारी सूची के कालम - ३ में तथा मध्य प्रदेश

शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. ७-२६/९३/१/आ. प्र. दिनांक ८ मार्च १९९४ के साथ संलग्न

परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कालम ३ में किया गया है।

२. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारा के

परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये है।

(श्रीमती कुमारी प्रमोद देवी)
स्थान - दुर्ग

(सील)

दिनांक 17/01/2001

तहसीलदार
हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम